न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : (2017/00190) 65/2017

सरकार द्वारा तहसीलदार, मसूदा जिला–अजमेर —— प्रार्थी

बनाम

निवास पुत्र चान्दकरण कौम महाजन (धूत) निवासी–मसूदा

——अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक
2. श्री मुकेश जैन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–::– आ दे श –::–

दिनांक :– 10.10.2019

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् तहसीलदार, मसूदा की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् पत्रावली सुनवाई हेतु नियत की गई। उपस्थित को सुना गया।

राजकीय अभिभाषक ने सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया कि तहसील मसूदा के साविक खसरा नं0 428 रकबा 14–18–10 किस्म नाला मिसल बन्दोबस्त सन् 1951–52 में सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज था। सैटलमेन्ट पश्चात उक्त खसरा संख्या 428 के नये खसरा संख्या 449 रकबा 6–18–00, 453 रकबा 0–4–10, 454/1 रकबा 7–16–00 दर्ज हुए। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2070–73 में उक्त आराजी खसरान अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हो गये। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अप्रार्थी को खातेदारी दिया जाना विधि संगत नहीं माना गया है। अतः सैटलमेन्ट विभाग द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन कर आवंटन/नियमन/खातेदारी प्रदान करना विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 के बिन्दू संख्या 01 एवं 4 की पालना में 15.8.1947 के समय सरकारी खाते मे दर्ज किस्म नदी,नाला, झील, तालाब, जो वर्तमान रेकार्ड में अन्य के नाम दर्ज हो गये है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं परिवर्तित किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नाला दर्ज करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करने हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रश्नगत आराजी की खातेदारी निरस्त कर सिवाय चक घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

रेन्स प्रकरण को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

उपस्थित अभिभाषक के द्वारा उनके जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया। जवाब कथन है कि प्रश्नगत प्रार्थना पत्र जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 की आड में बदनियतिपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार मसूदा द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरेन्द्र सिंह कानावत द्वारा द्वेषपूर्वक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2015 के आधार पर तथा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से दुर्भावना पूर्वक पेश किया गया है। साबिक खसरा नं0 428 रकबा 14–18–10 के नये नम्बर 449 रकबा 6–18–00, खसरा संख्या 453 रकबा 0–4–10, खसरा संख्या 454/1 रकबा 7–16–00 बने एवं इसी प्रकार जमाबन्दी में दर्ज हुए। लेकिन मिलान क्षेत्रफल व नक्शे में उक्त खसरा नं0 428 के चार भाग 449, 453, 454, व 533 रकबा 6–18–00, 00–04–10, 4–05–00, व 3–11–00 दर्शा दिये गये। यद्यपि अप्रार्थी खसरा नं0 428 की पूर्ण पैमाईश के आधार पर ही भूमि पर काबिज काश्त रहा है, लेकिन श्री विरेन्द्र सिंह ने उक्त भूमि को खसरा नं0 533 का हिस्सा मानते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने का प्रयास किया जिस पर अप्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई। दोनो पक्ष द्वारा राजस्व न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किये गये, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 07.12.2016 मुताबिक उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा खसरा नं0 533 रकबा 03–11–00 को वजूद में नहीं मानते हुए मिलान क्षेत्रफल से खसरा नं0 533 रकबा 03–11–00 बीघा को तर्क करने एवं खसरा नं0 454 का रकबा 7–16–00 बीघा दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। श्री विरेन्द्र सिंह प्रश्नगत रकबा 03–11–00 का स्वयं को मालिक मानते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाना चाह रहा था किन्तु विवाद के चलते विफल होने पर द्वेषता पूर्वक तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा तैयार कर दिनांक 08.4.2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नं0 451/1 व 449 में रबी की काश्त होना तथा भूमि समतल एवं खसरा नं0 533 की भूमि मौके पर पडत पाई गई जिसमें से वर्षा का पानी बहकर एक तरफ आना और उससे मौके पर नाले की स्थिति बनना तथा खसरा नं0 453 में पाल के जरिये पानी की आवक को रोकना पाया गया। जब कि वस्तुस्थिति यह है कि साबिक खसरा नं0 491 व 517 में तथाकथित जमाबन्दी फसली 1359 के अनुसार नाला दर्शाया गया है ओर खसरा नं 428 में भी नाला दर्ज किया गया। तत्कालीन नक्शें पर गौर किये जाने पर स्पष्ट होता है कि नाला मूलतः खसरा नं0 510 में होता हुआ खसरा सं0 509 पुलिया व खसरा नं0 491 व आगे 517 की ओर जाता है। जबकि खसरा संख्या 428 नाले से पश्चिम की ओर स्थित है, जो तीन दशाओं में खातेदारी भूमि से घिरा हुआ है। इससे जाहिर है कि खसरा नं0 428 के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा से कोई नाला नही आ रहा है। प्रशनगत खसरा नं0 428 के पूर्व में बहकर नाला दक्षिण–पश्चिम से आते हुए उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है और यह भूमि नाले के किनारे स्थित है। भूमि कभी भी नाले, जलाश्य एवं भराव क्षेत्र का हिस्सा नहीं रही। चूकि यह भूमि सरकारी थी तथा जोती बोई नहीं जाती थी इसलिए इसे गैर मजरूआ दर्शाया गया। खसरा नं0 428 से सटी हुई उत्तर दिशा में पूर्व खसरा नं0 379 से 392 तक की भूमि जयसिंह वल्द गोकलदास की पुश्तैनी भूमि थी जो कि उक्त खसरों की खतौनी जमाबन्दी सन फसली 1359 से स्पष्ट है।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रश्नगत खसरा नं0 428 की भूमि ताराचन्द पुत्र घीसालाल के द्वारा जरिये आवंटन हासिल की गई तत्पश्चात उन्हे गैर खातेदार एवं उसके बाद खातेदार दर्ज किया गया। उनके देहावसान के पश्चात संवत 2041–44 में उनके *पुत्रगण श्री किशनगोपाल एवं रामगोपाल को खातेदार के रूप में दर्ज किया गया।* श्री किशनगोपाल के देहावसान के पश्चात भूमि उनके वारिसान व श्री रामगोपाल के खातेदारी में दर्ज हुई। खसरा नं0 428 के नये नम्बरान 449, 453, 454/1 की कुल 14–18–10 बीघा भूमि जरिये बेचान व हक त्याग के नामान्तरकरण संख्या 1988 दिनांक 05.12.2010 के द्वारा अप्रार्थी के नाम दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा यह भूमि जरिये आवंटन प्राप्त नहीं कर दर्ज खातेदारो से सद्भावी केता के रूप में प्राप्त की है। सन् 1951–52 में यानि सन् फसली 1359 में भी भूमि की किस्म आबी–3 दर्शायी गई है। राजस्व व बन्दोबस्त विभाग द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वर्ष 1955 में लागू हुआ है। जबकि प्रश्नगत भूमि श्री ताराचन्द को इससे पूर्व आवंटित हो चुकी थी। पिछले साठ वर्षो से भूमि का उपयोग कृषि कार्यो हेतु किया जा रहा है। और वह किसी नाले अथवा जलाश्य के बहाव क्षेत्र को बाधित नहीं करता है। और ना ही किसी नाले अथवा जलाश्य के बहाव क्षेत्र का हिस्सा है ना ही पूर्व में था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र आवंटन की कार्यवाही के 60 वर्षो से भी अधिक समय पश्चात आवंटी अथवा उनके वारिसान जो कि आवश्यक पक्षकार है, को पक्षकार बनाये बिना अप्रार्थी जो कि सद्भावी केता है के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं जवाब, पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड वर्ष सन् फसली 1359 में प्रश्नगत साबिक खसरा संख्या 428 रकबा 14–18–10 किस्म नाला दर्ज थी। साबिक व हाल रेकार्ड तुलनात्मक रूप में प्रश्नगत भूमि वर्तमान जमाबंदी में किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के विक्रेतागण को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी.बी. जनहित याचिका में Experts committee द्वारा की गई सिफारिशों को प्रभावशाली बनाने हेतु दिये गये निर्देशों की पालना तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रश्नगत आराजियात को वर्ष 1947 के समकालीन सन् फसली 1359 राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भूमि को "Original Shape & Use" प्रदान करने हेतु सिवाय चक घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गत रेकार्ड मुताबिक किस्म के प्रश्नगत भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुनः सिवाय चक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner